दिल्ली विधान सभा

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

आठवां प्रतिवेदन

(19 मार्च, 1996 को प्रस्तुत)

DELHI VIDHAN SABHA

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

EIGHTH REPORT

(PRESENTED ON 19 MARCH, 1996)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, दिल्ली ।

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT, DELHI

दिल्ली विधान सभा

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

का प्रतिवेदन

आठवां प्रतिवेदन

(17 मार्च, 1996 को प्रस्तुत)

समिति का गठन

1.	श्री बरती लाल गोयल	सभापति
2.	श्री जगप्रवेश चन्द्र	सदस्य
3.	डा. ए. के. वालिया	सदस्य
4.	श्री नन्द किशोर गर्ग	सदस्य
5.	श्री ओ. पी. बब्बर	सदस्य
6.	श्री दर्शन कुमार बहल	सदस्य
7.	श्री राम पाल कराहना	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री पी. एन. गुप्ता	सचिव
2.	श्री एस. के. शर्मा	संयुक्त सचिव
3.	श्री पी. सी. अग्रवाल	उप सचिव
4.	श्री एस. के. श्रीवास्तव	समिति अधिकारी

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष में सम्पन्न हुई ।

समिति को सूचित किया गया कि दिल्ली विधान सभा का नौवां (तीसरा बजट) सत्र 18 मार्च, 1996 से प्रारम्भ हो रहा है एवं अस्थायी रूप से 29 मार्च, 1996 को समाप्त होगा । इस सत्र के दौरान गैर सरकारी सदस्यों के कार्य दिवस होने के कारण दो शुक्रवार अर्थात् 22 मार्च, 1996 और 29 मार्च, 1996 क्रमशः गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों एवं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिये नियत किये गये हैं ।

समिति को यह भी सूचित किया गया कि श्री मुकेश शर्मा, डा० ए. के. वालिया, श्री मेवा राम आर्य, श्री गौरी शंकर भारद्वाज एवं श्री मदन लाल गाबा से प्राप्त पांच संकल्पों की सूचनाओं को बैलेटिंग में स्थान प्राप्त हुआ है ।

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये समय का निर्धारण

समिति ने शुक्रवार, 22 मार्च, 1996 को निर्धारित संकल्पों के लिये प्रत्येक के सामने दर्शाये गये समय का आबंटन किया है -

क्र. सं.	सदस्य का नाम	संकल्प का विषय	आबंटित समय
1.	श्री मुकेश शर्मा	यह सदन सिफारिश करता है कि दिल्ली के विभिन्न भागों में स्थित ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को भूमि आबंटन के समय किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुसार सभी आंतरिक व बाहरी नागरिक सुविधाएं प्रदान की जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इन सोसाइटियों की आंतरिक नागरिक सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का निपटारा सरकार एवं संबद्ध स्थानीय निकाय मिलकर प्राथमिकता के आधार पर करें ।	

क्र. सं.	सदस्य का नाम	संकल्प का विषय	आबंटित समय
2.	डा. ए. के. वालिया	यह सदन सिफारिश करता है कि पूर्वी दिल्ली को, जिसकी आबादी दिल्ली की कुल आबादी का 1/3 है, कुल जल आपूर्ति का 1/3 भाग दिया जाये ।	30 मिनट
3.	श्री मेवा राम आर्य	यह सदन सिफारिश करता है कि ग्रामीण विकास के लिये चालू मिनी मास्टर प्लान का नाम बदल कर "दीनदयाल ग्रामोत्थान योजना" कर दिया जाये और इसे एक स्वतंत्र निकाय बनाया जाये ।	30 मिनट
4.	श्री गौरी शंकर भारद्वाज	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली के विद्यालयों में प्रथम कक्षा से द्वादश कक्षा तक की (1 से 12) कक्षाओं के लिये निर्धारित विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों से वैदिक वाड़्मय भारतीय संस्कृति, इतिहास, कला व साहित्य, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र व दर्शन शास्त्र के संबंध में प्रकाशित सभी भ्रांत धारणाओं एवं पाश्चात्य विचारकों द्वारा प्रस्तुत सभी मान्यताओं वाले अंशों को निकाल दिया जाये तथा उनके स्थान पर ऐतिहासिक गवेषणाओं व पुरातत्व साक्ष्यों से प्रमाणित तथ्यपरक सिद्धांतों वाले अंशों का समावेश किया जाये ताकि छात्रों को भारतीयता की स्पष्ट सत्य पहचान का ज्ञान कराया जा सके । पाठ्य पुस्तकों में उक्त संशोधन हेतु शिक्षा शास्त्रियों, इतिहास-विदों एवं विद्वान शिक्षकों की एक समिति गठित की जाये जो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद (एन. सी. ई. आर. टी.) तथा दिल्ली पाठ्य पुस्तक ब्यूरो को पाठ्यक्रम का संशोधित प्रारूप स्वीकृति हेतु भेजें ।	30 मिनट

5.	श्री मदन लाल गाबा	यह सदन सिफारिश करता है कि पूर्वी दिल्ली के बच्चों में सांस्कृतिक विकास हेतु यमुना स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स में "बाल भवन" बनाने से सम्बन्धित एक स्कीम बनाकर समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाये जिससे बच्चों में मानसिक तौर पर रुचि लेने एवं बुद्धि के विकास का सुअवसर प्रदान हो सके ।	30 मिनट

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

श्री जग प्रवेश चन्द्र ने अपने गैर सरकारी विधेयक -"पंजाबी को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने से संबंधित विधेयक, 1995" के बारे में जानकारी चाही । समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम की संबंधित धारा के अंतर्गत दिनांक 22 दिसम्बर, 1995 को माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए श्री जग प्रवेश चन्द्र को 29 मार्च, 1996 को विधेयक पुरःस्थापित करने की स्वीकृति देने की सिफारिश की और इसके लिये 15 मिनट का समय आबंटित किया ।

समिति को सूचित किया गया कि पहले ही पुरःस्थापित निम्नलिखित दो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर शुक्रवार, 29 मार्च, 1996 को आगे चर्चा होगी :-

1. दिल्ली कृषि पशु संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1995
   - श्री आलोक कुमार
2. भारतीय तलाक अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 1995
   - श्री आलोक कुमार

समिति को यह भी सूचित किया गया कि श्री मुकेश शर्मा द्वारा एक गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक -"दिल्ली नौकरियों में महिलाओं के लिये आरक्षण विधेयक, 1996" की सूचना प्राप्त हुई है । यह विधेयक विधि विभाग को जांच के लिये भेजा गया है एवं विधि विभाग से राय प्राप्त होने के पश्चात् ही इस विधेयक को सदन में पुरःस्थापित किया जा सकता है ।

लम्बित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

समिति को सूचित किया गया कि निम्नलिखित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक लंबित पड़े हैं और उनके सामने दर्शाये गये कारणों की वजह से चर्चा के लिये स्वीकार नहीं किये जा सकते हैं :-

क्र. सं.	विधेयक का नाम	कारण
1.	बाल श्रम (उन्मूलन, कल्याण एवं पुनर्वास) विधेयक, 1994	माननीय उपराज्यपाल महोदय ने विचार व्यक्त किया है कि बाल श्रम उन्मूलन और इससे संबंधित दंड के जिन प्रावधानों का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है वे पहले से ही दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 एवं कारखाना अधिनियम, 1948 में विद्यमान हैं । इसलिये इस संबंध में किसी भी परिवर्तन को अखिल भारतीय विधान पर छोड़ दिया जाये। अब इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रति-प्रभाव होंगे ।
2.	बालिका (अनिवार्य शिक्षा, पालन पोषण एवं कल्याण) विधेयक, 1995	उपराज्यपाल की संस्तुति प्राप्त न होने के कारण विधेयक को अभी विचार के लिये नहीं लिया जा सकता ।
3.	दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1995	उपराज्यपाल की संस्तुति प्राप्त न होने के कारण विधेयक को सदन में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता ।

समिति ने पहले ही लंबित पड़े विधेयकों पर चर्चा करने और पारित करने के लिये निम्नानुसार समय का आबंटन किया :-

1.	पंजाबी को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने से संबंधित विधेयक, 1995 का पुर:स्थापन - श्री जग प्रवेश चन्द्र	15 मिनट
2.	दिल्ली कृषि पशु संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1995	30 मिनट
3.	भारतीय तलाक (संशोधन) विधेयक, 1995	30 मिनट

समिति ने श्री जग प्रवेश चन्द्र एवं उनकी अनुपस्थिति में श्री दर्शन कुमार बहल को समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया ।

चरती लाल गोयल
सभापति
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों
एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति

DELHI VIDHAN SABHA SACHIVALAYA

Report by Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

EIGHTH REPORT

(Presented on 19.3.96)

Constitution of Committee

1.	Shri Charti Lal Goel	Chairman
2.	Shri Jag Parvesh Chandra	Member
3.	Dr. A.K. Walia	Member
4.	Shri Nand Kishore Garg	Member
5.	Shri O.P. Babber	Member
6.	Shri Darshan Kumar Bahl	Member
7.	Shri Ram Pal Karhana	Member

Secretariat

1.	Shri P.N. Gupta	Secretary
2.	Shri S.K. Sharma	Joint Secretary
3.	Shri P.C. Agarwal	Dy. Secretary
4.	Shri S.K. Srivastava	Committee Officer

The Committee on Private Members' Bills and Resolutions met in the Chamber of Hon'ble Speaker on 13 March, 1996.

The Committee was informed that the Ninth (IIIrd Budget) Session of the Delhi Legislative Assembly will commence from 18th March, 1996. During this Session two Friday i.e. 22nd March and 29th March, being Private Members' Business Day, have been earmarked for Private Members Resolutions and Private Members Bills respectively.

The Committee was further informed that five resolutions, notices of which have been given by Shri Mukesh Sharma, Dr. A.K. Walia, Shri Mewa Ram Arya, Shri Gauri Shankar Bhardwaj and Shri Madan Lal Gaba, have found place in the balloting.

ALLOCATION OF TIME FOR PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

For discussion on the Private Members' Resolutions in the House on Friday the 22nd March, 1996, the Committee allotted the time as shown against each :

Sl. No.	Name of Member	Text of Resolution	Time allotte
1.	Shri Mukesh Sharma	This House recommends that all internal and external civic amenities be provided to the Group Housing Societies in all part of Delhi as per the terms	40 minutes

Sl.No.	Name of Member	Text of Resolution	Time allotted
		and conditions made at the time of allotment of land and this may be ensured that problems pertaining to internal civic amenities are disposed off on priority basis by the Government and other allied agencies.	
2.	Dr. A.K. Walia	This House recommends that East Delhi having 1/3rd of population of Delhi be given 1/3rd of Delhi's total water supply.	30 minutes
3.	Shri Mewa Ram Arya	This House recommends that the Present Mini Master Plan which is in vogue for rural Development be renamed as "Deen Dayal Gramothan Yogana" and this may be converted into an autonomous body.	30 minutes
4.	Shri Gauri Shanker Bhardwaj	This House recommends that all the portions having illusory concepts and views based on Western ideology be deleted from the text books prescribed for primary to Senior Seconday level(from Class I to XII) in Delhi Schools published about vedic literature, Indian Culture, political Science, Sociology and philosophy and the same be substituted by relevant facts/portions as have been established by historical researches and archaeological evidence so as to make the students aware of the real Indian vision and facts with a view to carry out the above curriculum amendments. A Committee of Educational Experts including historians and eminent academicians be constituted who shall submits recommendation to NCERT and Delhi Text Book Bureau regarding revised syllabus for approval.	30 minutes

Sl.No.	Name of Member	Text of Resolution	Time allotted
5.	Shri Madan Lal Gabe	This House recommends that for the cultural development of the children of East Delhi, all necessary arrangements be provided by formulating a scheme for setting up a Bal Bhavan in Yamuna Sports Complex for all round mental and intellectural development of children.	20 minutes

PRIVATE MEMBERS' BILLS

Shri Jag Parvesh Chandra inquired about the fate of his Private Member Bill viz. Punjabi (Second) Official Language Bill, 1995. The Committee after detailed deliberations and after going through the relevant section of GNCT Act read with the ruling given by the Hon'ble Speaker on the subject on 22 December, 1995 recommended that Shri Jag Parvesh Chandra be allowed to introduce his Bill on 29th March, 1996 and allotted 15 minutes for the purpose.

The Committee was informed that further discussion on the following two Private Members Bills, already introduced will be held on Friday the 29th March, 1996 :-

i) The Delhi Agricultural Cattle Preservation (Amendment) Bills, 1995 (Bill No. 0 of 1995) by Shri Alok Kumar.

ii) The Indian Divorce (Amendment) Bill, 1995 (Bill No. 10 of 1995) by Shri Alok Kumar.

The Committee was further informed that one notice for Private Members' Bill "The Delhi Reservation in Jobs for women Bill, 1996" has been received from Shri Mukesh Sharma. This Bill has been sent to the Law Deptt. for vetting and only after the receipt of opinion of Law Deptt. the same could be introduced in the House.

PENDING PRIVATE MEMBERS' BILLS

The Committee was informed that the following Private Members' Bills are pending and could not be adopted for discussion due to the reasons given against each :

Sl. No.	Name of the Bill	Reasons
1.	The Child Labour(Abolition, Welfare and Rehabilitation) Bill, 1994	Hon'ble Lt. Governor has opined that the provisions made in this Bill regarding abolition of Child Labour and penal

		provisions concerning therewith already exist in the Delhi shops and Establishment Act, 1954 and Factories Act, 1948 and any changes in this regard be left to All India Legislation; there are now international repercussion.
2.	The Girl Child(Compulsory Education, Upbringing and Welfare) Bill, 1994	The recommendations of the Lt. Gover for taking up further consideration of the Bill in the House are still awaited.
3.	The Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1995.	The recommendations of the Lt. Governor for introduction of the bill in the House are still awaited.

ALLOCATION OF TIME

PRIVATE MEMBERS' BILLS

1.	Introduction of Punjabi(Second Official) Language Bill, 1995 by Shri Jag Parvesh Chandra	15 minutes
2.	The Delhi Agricultural Cattle Preservation (Amendment) Bill, 1995	30 minutes
3.	The Indian Divorce(Amendment) Bill, 1995	30 minutes

The Committee authorised Shri Jag Parvesh Chandra and in his absence Shri Darshan Kumar Bahl to present report of Committee in the House.

CHARTI LAL GOEL
CHAIRMAN
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS